न्यायालयः— विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद,जिला भिण्ड (समक्षः पी०सी०आर्य)

1

विशेष सत्र प्रकरण<u>कमांकः 24 / 2015</u> संस्थित दिनांक-04 / 02 / 2008 फाईलिंग नंबर-2303010001602008

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा— आरक्षी केन्द्र मालनपुर, जिला—भिण्ड (म०प्र०) ————<u>अभियोजन</u>

वि रू द्ध

- दारा उर्फ धारा उर्फ सत्यदेव शर्मा पिता रामनिवास शर्मा, 23 साल निवासी ग्राम सिकरोंदा सिविल लाइन मुरैना
- 2. छोटे सिंह सिकरवार पुत्र पूरन सिंह उम्र 30 साल, निवासी आमन का पुरा हाल मोहनपुरा थाना सिहौनियां जिला मुरैना......फरार आरोपीगण
- बंटू उर्फ बंटी तोमर पिता सोबरन सिंह आयु 21 साल, निवासी बडी तोर थाना अंबाह, जिला मुरैना
- 4. संजू उर्फ संजीव पचौरी पिता तोताराम पचौरी, आयु 25 साल निवासी ग्राम चिराई थाना एण्डोरी जिला भिण्ड म०प्र०**उपस्थित आरोपीगण**

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल अपर लोक अभियोजक आरोपी संजू उर्फ संजीव द्वारा श्री के०पी० राठौर अधिवक्ता । आरोपी बंटू उर्फ बंटी द्वारा श्री तेजनारायण शुक्ला अधि० ।

-::- निर्णय -::-

(आज दिनांक 08 अप्रेल 2015 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्तगण संजू उर्फ संजीव एवं बंटू उर्फ बंटी के विरूद्ध धारा 392 सहपिटत धारा—398 भा0द0वि० एवं धारा—11/13 एम0पी0डी०व्ही०पी०के० एक्ट एवं आरोप है कि उन्होंने दिनांक 27/5/2007 को शाम 4:15 बजे गुरीखा चौकी के पास थाना मालनपुर स्थित डकैती प्रभावित क्षेत्र में ग्वालियर भिण्ड राजमार्ग पर सर्वेश और राकेश के आधिपत्य से टाटा सूमो पंजीयन क. —यू0पी0—75 एफ—6003 एवं दो मोबाइल फोन की लूट अन्य सहअभियुक्तगण के साथ संयुक्त रूप से प्राणघातक आयुध आग्नेयास्त्र का उपयोग करते हुए लूट कारित की ।

- 2
- 2. प्रकरण में आरोपीगण दारा सिंह एवं छोटे सिंह को स्थाई रूप से फरार घोषित कर उसके विरूद्ध स्थाई गिरफ़तारी वारण्ट जारी किया गया है।
- 3. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि फरियादी शांतिस्वरूप बिधौलिया ने दिनांक—27/5/2007 को थाना मालनपुर में उपस्थित होकर आवेदन दिया कि " दि.—27/5/2007 को जब उसका ड्राइवर सर्वेश एवं साथ गये राकेश कुमार उसकी टाटा सूमो विक्टा जी०एक्स0 जिसका रिज0क्0—यू.पी.—75/ एफ0—6003 से उसकी भांजी को ग्वालियर से छोडकर वापिस आ रहे थे, तब मालनपुर थाने से 2—3 कि0मी0 आगे एक बिना नंबर की जीप ने ओवरटेक कर उसकी गाडी को एकदम रोक दिया और उक्त जीप में से तीन चार लोगों ने निकलकर चालक को तमंचा लगा दिया और गाडी अपने कब्जे में लेकर मय राकेश व चालक सर्वेश को गाडी की सीट के नीचे डालकर पैरों से दबोच लिया । आगे सुनसान जगह पर चालक व राकेश को उनके मोबाइल छीनकर धकेल दिया एवं गाडी में रखे गाडी के मूल कागजात भी वह बदमाश अपने साथ ले गयी ।
- 4. फरियादी भारत की उक्त रिपोर्ट पर से थाना मालनपुर में अज्ञात आरोपीगण के विरूद्ध अप.क.—70/07 धारा—392 भा0द0वि0 एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। एवं विवेचना के दौरान नक्शामौका, जप्ती व आरोपीगण की गिरफ्तारी एवं साक्षियों के कथन उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया।
- 5. अभियोगपत्र एवं सलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध के विरूद्ध धारा 392 सहपठित धारा—398 भा०द०वि० एवं 11/13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया । धारा 313 जा० फौ० के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में रंजिशन झूठा फंसाए जाने का आधार लिया है। उसकी ओर से कोई बचाव नहीं दी गयी है।
- 6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :--
 - 1— क्या दिनांक—27/05/2007 को शाम के करीब 4:15 बजे थाना मालनपुर के क्षेत्र में गुरीखा चौकी के पास भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग पर टाटा सूमो विक्टा रजि0क0—यू.पी.—75/एफ0—6003 को सर्वेश चलाकर ले जा रहा था और राकेश उसके साथ था जो गाडी शांतिस्वरूप बिधौलिया के स्वामित्व की थी?
 - 2— क्या, उक्त सुसंगत घटना की अवधि व स्थान पर आरोपीगण ने सर्वेश और राकेश के आधिपत्य से उनके मोबाइल फोन और टाटा सूमो विक्टा रजि०क०—यू.पी.—75/ एफ०—6003 को डकैती प्रभावित क्षेत्र भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग से छीनकर लूट कारित की ?

<u>-::-निष्कर्ष के आधार</u> :-

विचारणीय प्रश्न कमांक-01 एवं 02 का निराकरण

- 7. उक्त दोनों विचारणीय विंदुओं का सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो इसलिए एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है।
- 8. अभियोजन की ओर से प्रकरण में शांतिस्वरूप बिधौलिया(अ०सा0—1), राकेश कुमार (अ०सा0—2), सर्वेश कुमार (अ०सा0—3), फारूख खांन (अ०सा0—4) अमर सिंह सिकरवार (अ०सा05) एवं गुलाब सिंह (अ०सा06) की साक्ष्य कराई है तथा अभियोजन की ओर से प्रदर्श पी.—1 लगायत—प्रदर्श पी. —06 के दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये हैं।
- 9. परीक्षित अभियोजन साक्ष्य में से टाटासूमों के स्वामी शांतिस्वरूप बिधौलिया अ0सा0-1 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि दि0-27 / 5 / 2007 को उसने अपनी टाटा सूमो विक्टा गाडी से अपनी भांजी को इटावा से ग्वालियर छोडने के लिए भेजा था । जिसे सर्वेश कुमार ड्राइवर ले गया था और राकेश भी साथ में गया था । जो कि भांजी को छोडकर जब शाम के समय लौटकर आ रहे थे, तो मालनपुर थान के आगे सर्वेश ने उसे पी.सी.ओ. से फोन किया था कि गाडी छीन ली है और इतने में फोन कटा गया था । फिर वे रात को उसके पास इटावा पहुंचे थे तब उन्होंने घटना सुनायी थी । फिर वे उनको साथ लेकर थाना मालनपुर आये थे और उसने प्रदर्श पी0-1 की लिखित रिपोर्ट की थी, जिसमें यह बताया था कि कोई बिना नंबर की जीप के द्वारा ओवरटेक करके उसकी गाडी को रोक लिया और राकेश व सर्वेश को सीट के नीचे पैर से दबा लिया था तथा लूट करने वाले में से एक व्यक्ति ने गाडी चलायी थी और अज्ञात स्थान पर ले जाकर राकेश और सब्रेश को छोडा था । जिनके मोबाइल भी छीन लिये थे और गाडी के मूल कागजात भी थे, जो साथ चले गये, किन्तू जिन लोगों ने गाडी छुडाई थी उनके बारे में उसे कोई पता नहीं है, न ही पुलिस ने गाडी किन लोगों से बरामद की, इसकी उसे कोई जानकारी है । पुलिस ने लूट वाले स्थान पर उन्हें ले जाकर प्रदर्श पी.-2 का नक्शा मौका बनाया था । उसका यह भी कहना है कि राकेश और सर्वेश ने उसे बदमाशों का ह्लिया, शक्ल आदि नहीं बतायी, न ही किसी के नाम, बल्दियत, निवास बताये थे, क्योंकि उस समय अंधेरा हो गया था और साफ दिखाई नहीं दे रहा था और उसे घटनास्थल की भी जानकारी नहीं है ।
- 10. इस तरह से उक्त साक्षी बतायी गयी लूटी टाटा सूमो विक्टा रिज0क0—यू.पी.—75 / एफ0—6003 का स्वामी है, जिसने प्रदर्श पी.—01 की लेखीय रिपोर्ट वाहन के चालक सर्वेश कुमार और साथ गये राकेश कुमार वर्मा की जानकारी के आधार पर दी है । जिसपर से प्रदर्श पी0.—5 की

एफ0आई0आर0 जांच उपरांत दर्ज बतायी गयी है । इसलिये जानकारी का स्त्रोत सर्वेश और राकेश है और उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य का महत्व तभी है जब राकेश और सर्वेश के द्वारा घटना का समर्थन करते हुए विचाराधीन आरोपियों के विरुद्ध साक्ष्य देना प्रमाणित माना जाये । अ0सा0—1 की अभिसाक्ष्य से केवल इस बात की ही पुष्टि हो सकती है कि दिनांक—27/05/2007 को उसकी टाटा सूमो विक्टा रजि0क0—यू.पी. —75/ एफ0—6003 को ग्वालियर से इटावा वापिस जाते हुए मालनपुर थाना के आगे भिण्ड ग्वालियर राज मार्ग से लूट लिया गया था, किन्तु आरोपीगण या उनमें से किसीके द्वारा उक्त घटना को अंजाम दिया गया। यह अभी और देखना होगा ।

- राकेश कुमार अ०सा०–2 और सर्वेश कुमार अ०सा०–3 वे पीड़ित हैं 11. जिनके मोबाइल फोन और टाटासुमों गाडी की लूट करना बतायी गयी है। दोनों ही साक्षियों ने अपने अभिसाक्ष्य में एक जैसी साक्ष्य देते हुए बताया है कि दि0-27/05/2007 को वह टाटा सूमों गाडी से ग्वालियर से इटावा के लिए ले जा रहा था । रास्ते में मालनपुर थाने के बाद एक कीम कलर की जीप जिसमें 4-5 लोग सवार थे, उन्होंने उनकी गाडी को ओवरटेक किया था और उनकी गाड़ी के आगे जीप लगा दी थी तथा जो 4-5 लोग जीप में थे. उन्होंने उन्हें अपने कब्जे में ले लिया था तथा गाडी में पीछे खिडकी खोलकर डाल दिया था और दोनों साइड खिडिकयों पर एक-एक व्यक्ति बैठा था, उनकी आंखों पर पटिटयां बांध दी थी और कपडा ऊपर से डाल दिया था तथ नीचे दवे रहे थे तथा उनके ऊपर तमंचा लगा दिया था और गाडी बराबर चलती रही थी और कहीं जंगल में ले जाकर उन्हें छोडा था । जहां छोडा था वहां उन्होंने यह भी कहा था कि यदि पीछे मुडकर देखा तो सीधे गोली पड़ेगी। उसके दो-तीन मिनट बाद चलकर उन्होंने देखा कि वे लोग गाडी ले जा चुके थे । फिर वह पूछताछ करके सेमरपूरा गांव पहुंचे, फिर भिण्ड आये थे और भिण्ड से इटावा गये थे । इटावा जाकर उन्होंने गाडी मालिक को बताया था । फिर गाडी मालिक को लेकर थाना मालनपुर आये थे और रिपोर्ट हुई थी, जिन लोगों ने उनसे गाड़ी और मोबाइल छुडाये थे, उन्हें वे नहीं पहचान सकते और सामने आने पर भी नहीं पहचान सकते । क्योंकि बदमाश लोग मुंह बांधे थे और साफ दिखाई नहीं दे रहा था । उन्होंने पुलिस को बदमाशों के नाम, पिता का नाम, ह्लिया, शक्ल नहीं बताया था । जिस जगह पर उन्हें छोड़ा गया था, वह उनकी जानकारी में नहीं है, क्योंकि वे बाहर के रहने वाले हैं । इसलिये वे आरोपीगण को नहीं पहचान सकते हैं ।
- 12. इस प्रकार से उपरोक्त दोनों साक्षियों के द्वारा भी आरोपीगण के विरूद्ध कोई अभिसाक्ष्य नहीं दी गयी है और उनके अभिसाक्ष्य से भी केवल इतना ही प्रमाणित होता है कि दि.—27/05/2007 को उनसे उनके मोबाइल और टाटासूमो गाडी 4—5 अज्ञात लोगों ने राजमार्ग से लूट ली । किन्तु आरोपीगण या उनमें से किसीके द्वारा लूटी गयी । ऐसा उक्त साक्षियों के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित नहीं होता है और अनुसंधान में उपरोक्त दोनों साक्षियों

से आरोपियों की पहचान की कोई कार्यवाही नहीं करायी गयी है तथा प्रकरण में आरोपीगण को प्रदर्श पी.—3 और 6 के मेमोरेण्डम कथनों तथा प्रदर्श पी.—4 जब्ती पत्रक के आधार पर अभियोजित किया गया है इसलिये यह विश्लेषित करना होगा कि क्या जो शेष साक्ष्य है, उससे प्रदर्श पी.—3 लगायत—06 के दस्तावेज युक्ति युक्त संदेह के परे प्रमाणित होते हैं अथवा नहीं ।

- 13. इस संबंध में परीक्षित साक्षियों में से प्रदर्श पी.—3 एवं 4 के बनाये गये पंच साक्षी आरक्षक फारूख खां अ०सा०-4 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि थाना प्रभारी सिकरवार को उसके सामने आरोपी दारासिंह उर्फ सत्यदेव ने यह बताया था कि टाटासूमों भवानीपुरा के जंगल में खेत में रखी हुई है, जिसका प्रदर्श पी.-3 का ज्ञापन थाना प्रभारी द्वारा तैयार किया गया था, जिसपर क से क भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं और फिर उसके बताये अनुसार टाटासूमों गाडी को भौनपुरा से जब्त किया था, जिसका भी थाना प्रभारी सिकरवार ने प्रदर्श पी.-4 का जब्ती पत्रक तैयार किया था । जिसपर से भी उसके क से क हस्ताक्षर हैं । इस बात से उसने इंकार किया कि उसके सामने आरोपी दारा सिंह ने न तो कोई जानकारी दी, न उससे कोई टाटासमों की जब्ती हुई । इस बात से भी उसने इंकार किया है कि वह थाना मालनपुर में आरक्षक था और पुलिस के वरिष्ट अधिकारियों के कहने पर उसने हस्ताक्षर कर दिये । किन्त् उक्त साक्षियों के अभिसाक्ष्य में प्रदर्श पी.-3 और पी.-4 की कार्यवाही उक्त दिनांक को किस स्थान पर, किस प्रकार से हुई इसके बारे में भी कोई स्पष्टीकरण अभिकथनों में नहीं है । इसलये उक्त साक्षी के आधार पर प्रदर्श पी.—03 और 4 के दस्तावेजों से प्रमाणित नहीं माना जा सकता है । प्रदर्श पी.-03 और 04 में कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाये गये हैं, जो दो आरक्षक पंच साक्षी बनाये हैं, वे अधीनस्थ पुलिसकर्मी हैं और प्रकरण की विवेचना करने वाले अमर सिंह सिकरवार टी०आई० ने अपने अभिसाक्ष्य में इस बारे में कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया है । इसलिये यह सुक्ष्मता से विश्लेषित करना होगा कि क्या विवेचक की अभिसाक्ष्य से प्रदर्श पी.—3 लगायत—6 के दस्तावेज प्रमाणित होते हैं, जो घटना का आधार हैं, क्योंकि उन्हीं पर से आरोपीगण को अभियोजित किया गया है ।
- 14. इस संबंध में अमर सिंह सिकरवार टी0आई0 अ0सा0—5 ने यह अभिसाक्ष्य दिया है कि दि.—27/5/2007 को वह थाना प्रभारी मालनपुर था। उक्त दि0 को शांतिस्वरूप बिधौलिया के द्वारा दिये गये लेखीय आवेदनपत्र पर से उसने कार्यवहीं की थी, जिसमें यह बताया था कि शांतिस्वरूप बिधौलिया के चालक से उसकी टाटा सूमो विक्टा रिज0क0—यू.पी.—75/एफ0—6003 जो ग्वालियर से भिण्ड ले जा रहे थे, उसे शाम के करीब 4—4:30 बजे मालनपुर थाना से 2—3 किलोमीटर आगे भिण्ड की तरफ बिना नंबर की अज्ञात जीप में बैठे बदमाशों के द्वारा ओवरटेक करके लूट लिया गय था और ड्राइवर को कनपटी पर तमंचा लगाकर गांडी के अंदर डालकर दवाकर ले गये थे। जिसकी सूचना पर से उसने प्रदर्श पी.—05 की एफ0आई0आर0 दर्ज की थी। जबिक प्रदर्श पी.—5 की एफ0आई0आर0 मृताबिक लेखीय आवेदनपत्र पर जांच

की गयी । जांच पर से कायमी बतायी गयी है । जांच से संबंधित कोई भी दस्तावेज प्रकरण में पेश नहीं है । जैसा कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता का तर्क है और उन्होंने आरोपी की कोई शिनाख्ती परेड़ न होने से विवेचना दूषित बतायी है । पहचान परेड़ न किए जाने के संबंध में भी अ0सा0—5 ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है तथा यह बताया है कि दिनांक—26/10/2007 को गिरफतार आरोपी दारा उर्फ सत्यदेव शर्मा से उसने पूछताछ करके मेमोरेण्डम कथन लिया था, जिसमें उसने लूटी गयी टाटासूमों गाडी भौनपुरा गांव के पास बाजरा के खेत में छिपाकर रखने की जानकारी दी थी तथा आरोपी संजू का भी उसने मेमोरेण्डम कथन लिया था । फिर भौनपुरा जाकर आरोपी दारासिंह से वाहन टाटा सूमो विक्टा रजि०क०—यू.पी.—75/ एफ०—6003 को प्रदर्श पी.—4 का जब्ती पत्रक बनाकर जब्त किया था, किन्तु उक्त विवेचक ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि पंजीबद्ध अपराध में आरोपी को किस आधार पर गिरफतार किया गया । जिससे उक्त विवेचक की कार्यवाही स्पष्ट और विधि संम्मत् प्रक्रिया के अनुक्रम में होना परिलक्षित नहीं होता है ।

- 15. अ०सा०—5 ने प्रदर्श पी०—2 का नक्शामौका शांतिस्वरूप बिधौलिया की निशादेही पर तैयार करना बताया है, जबिक शांतिस्वरूप बिधौलिया तो घटना के समय टाटासूमों गाड़ी में नहीं था । ऐसे में वह घटनास्थल का साक्षी किसी भी प्रकार से नहीं था और उसकी निशादेही पर वास्तविक घटनास्थल का नक्शामौका बनाया जाना संभव ही नहीं है तथा अ०सा०—1 ने भी यह स्वीकार किया है कि उसे घटनास्थल की कोई जानकारी पैरा—3 में न होना स्वीकार किया है । घटनास्थल के साक्षी सर्वेश कुमार या राकेश कुमार हो सकते थे जिन्हें नहीं बनाया गया है । पैरा—4 में उसने यह स्वीकार किया है कि आवेदनपत्र में बदमाशों का कोई हुलिया, शक्ल, नाम बल्दियत, निवास स्थान आदि नहीं बताये गये थे और घटनास्थल राजमार्ग है, जहां से वाहनों का आवागमन थोडे—थोड़े अंतराल से जारी रहता है । ऐसे में कौन सी गाड़ी से कौन व्यक्ति लूट कर ले गये ? ऐसा स्पष्ट जानकारी के अभाव में पता लगाया जाना संभव ही नहीं है ।
- 16. ऐसी स्थिति में चूंकि सर्वेश और राकेश कुमार से लूट कारित की गयी और उन्हें गाडी में कुछ दूरी तक जंगल में ले जाया भी गया था, ऐसे में उनसे बदमाशों के हुलिया, उम्र, कद काठी, भाषा शैली आदि के आधार पर जानकारी ली जाकर विवेचना की जानी चाहिये थी, जिसका प्रकरण में सर्वथा अभाव है । जिससे ऐसा प्रकट होता है कि विवेचक द्वारा घटना की केवल औपचारिक खानापूर्ती करके चालानी कार्यवाही की गयी है । निष्पक्ष अनुसंधान नहीं किया गया है । हालांकि उसने इस बात से इंकार किया है कि पूरी कार्यवाही थाने पर बैठकर कर ली है, किन्तु अ0सा0—5 से प्रदर्श पी0—2 लगायत—6 के दस्तावेज कतई प्रमाणित नहीं होते हैं । इसलिये सर्वेश कुमार और राकेश कुमार से की गयी टाटा सूमो विक्टा रिज0क0—यू.पी.—75/एफ0—6003 और मोबाइल फोन की लूट विचाराधीन आरोपीगण संजू या बंटू के द्वारा की जाना संदिग्ध है । इसलिये उनके विरुद्ध मामला संदिग्ध है और

उनके विरूद्ध कोई साक्ष्य न होने से उन्हें संदेह का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है ।

- 17. इस तरह से उपरोक्त समग्र साक्ष्य, तथ्य, परिस्थितियों के चरणबद्ध तरीके से किए गये विश्लेषण के आधार अभियोजन अपना मामला प्रमाणित करने में असफल रहा है अतः आरोपीगण बंटी उर्फ बंटू एवं संजू को संदेह का लाभ दिया जाकर आरोप धारा—392 सहपठित धारा—398 भा.द.वि.एवं धारा—11, 13 एम0पी0डी०ब्ही०पी०के० एकट के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।
- 18. आरोपीगण बंटी उर्फ बंटू एवं संजू के जमानत मुचलके आगामी छः माह के लिए प्रभावी रखे जाते हैं ।
- 19. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन स्वामी पंजीकृत स्वामी को सुपुर्दगी पर दी जा चुकी है, अतः सुपुर्दगीनामा अपील अविध पश्चात भारमुक्त समझा जावे । अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णय अनुसार संपत्ति का निराकरण किया जावे। आरोपीगण दारा उर्फ सत्यदेव शर्मा एवं आरोपी छोटे सिंह सिकरवार अभी फरार हैं, इसलिये उनके स्थाई गिरफतारी वारण्ट जारी कर प्रकरण को सुरक्षित रखे जाने की टीप के साथ दाखिल रिकार्ड हो।
- 20. निर्णय की एक प्रति जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को भेजी जाये ।

दिनांकः 08 अप्रेल 2015

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया। खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड (पी.सी. आर्य) द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद जिला भिण्ड